

Powers and Functions of the Chief Minister of an Indian State

Dr. Punam Kumari  
Dept of Pol. Sc.  
S.N.S. R.K.S. College  
Sahasra

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ

जिस प्रकार संघीय संविधान में नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य की संविधान का नेता मुख्यमंत्री होता है। भारतीय संविधान की धारा 163 में स्पष्ट रूप से यह वर्णन किया गया है कि राज्य के राज्यपाल को अपने शासन कार्य को सुदूर दूर से निष्पादन करने में सहायता एवं सँवर्ण देने के लिए राज्य की संविधान की भाँति ही एक राज्यपरिषद की स्थापना की गयी है जिसका नेता मुख्यमंत्री होता है। संविधान की धारा 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परन्तु उसका यह अधिकार निरिच्छित है, क्योंकि उसे विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही नियुक्त करना पड़ता है।

राज्य में मुख्यमंत्री का स्थान तथा उसकी स्थिति अत्याधिक महत्वपूर्ण है। यह राज्य का वास्तविक शासक होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति भी मुख्यमंत्री में ही निहित रहती है। यह संविधान और राज्यपाल के बीच सम्बन्ध स्थापित करने वाली कड़ी का कार्य करता है। यह विधानसभा और संविधान में भी सम्बन्ध स्थापित करता है। अतः राज्य के मुख्यमंत्री का वही स्थान और कार्य है जो केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है।

मुख्यमंत्री केवल विधानसभा का ही नेता नहीं होता बल्कि यह संविधान का निर्माता, संहारकर्ता तथा प्राणदाता भी होता है, और सभी सँघीय उपाय के नेतृत्व में कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री संविधान के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है।

डी० डी० वसु के शब्दों में, "साधारणतः राज्यपाल तथा सँघियों से भी वही सम्बन्ध है जो राष्ट्रपति तथा उसके सँघियों से है। केवल एक अन्तर यह है कि संविधान राष्ट्रपति को स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार नहीं देता।"

हैं, जबकि राजपाल को कुछ मामलों के सम्बन्ध में स्वयंसेवक से निर्णय लेने का अधिकार देना है।

फिर भी राजपाल एक संवैधानिक प्रश्न ही है। संवैधानिक परम्परा है कि सिर्फ़ कानूनकारण परिस्थितियों को छोड़कर यह मामलों के परामर्श के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा।

कार्य :- संविधान में सुरक्षासूची के मामलों पर बहुत ही कम प्रकाश डाला गया है। संविधान के अनुसार सुरक्षासूची के कार्य निम्नलिखित हैं -

- ① सुरक्षासूची संविधान का निर्माण करता है। वह संविधान के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट करता है तथा उसके लिए नामों की एक सूची तैयार करता है। इस कार्य में प्रायः वह स्वतंत्र है, परन्तु फिर भी उस पर कुछ परिवर्तन हैं।
- ② सुरक्षासूची संविधान के सदस्यों से संविधान के लिए सदस्यों को चुनता है। उसके बाद वह राजपाल की औपचारिक स्वीकृति से संसदों के बीच विभागों का वितरण करता है। इस कार्य में उसे बहुत कुछ स्वतंत्रता रहती है, परन्तु उसे अपने सदस्यों की इच्छा का आदर करना ही पड़ता है।
- ③ वह किसी सूची को पदच्युत भी कर सकता है या संविधान का विपरीत कर दूसरी संविधान का निर्माण कर सकता है। सुरक्षासूची के पदच्युत करने से उत्पन्न संविधान, विपरीत हो जाती है। इस प्रकार सुरक्षासूची संविधान का निर्माण एवं संहारक है।
- ④ सुरक्षासूची संविधान का प्रधान होता है। वह अपने ही नाम का अध्याय होता है। अतः वह यह देखता है कि सभी सूची एक ही रूप में कार्य करे। उसे भी प्रशासनिक विभागों के निरीक्षण तथा सचिव का अधिकार प्राप्त है। संसदों के बीच के किसी प्रकार का विवाद सुरक्षासूची के पास भेजा जाता है तथा उसका निर्णय ही कानून बनता है।
- ⑤ विधानसभा के गेना के रूप में वह देखता है कि कोई

3  
भी विशेषतः राज्य पर पात हो जाए, फिर विषय पर मतदान

लिखा जाए तथा फिर विषय पर कर लगाया जाए।

- 6) वह संविधानसभा का कार्यवाही-द्वेष इतने दृष्टिकोण से वह इतनी बैठकों का समापन करती है। वह निश्चय करती है कि ~~संविधान~~ संविधान के लक्ष्य और मूल्यों को विचार के लिए रखना चाहिए।
- 7) राज्य सरकार तथा विधानसभा के प्रमुख प्रवक्ता होने के कारण ~~उन्हें~~ उनके शब्द और कारवाही अधिकारिक माने जाते हैं।
- 8) राज्यपाल अधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है। लेकिन ये नियुक्तियाँ प्रायः मुख्यमंत्री द्वारा की जाती हैं।
- 9) अगर राज्यपाल चाहे तो वह मुख्यमंत्री से यह कह सकता है कि किसी मंत्री द्वारा व्यावहारिक रूप से गिराए गए निर्णय पर सम्पूर्ण मंत्रिमंडल से विचार करे। संविधानसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने पर उस निर्णय को राज्यपाल को मानना ही होगा।

इस प्रकार राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में रहती है। मुख्यमंत्री राज्य की संविधानसभा का निर्माण, संरक्षण तथा प्राणदाता होता है। संविधानसभा के प्रथा के रूप में मुख्यमंत्री की उच्चतर स्थिति को सिद्धांत से मान्यता प्रदान की है। निवर्तमान कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री राज्य रूपी जहाज के निर्देशक का चालक है।